मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के 97वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 18.11.2019 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

उपस्थितिः—

1.	श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रकाश तिवारी, अनुसचिव, वित	सदस्य
4.	श्री सोमपाल,उपसचिव, आवास विभाग	सदस्य
5.	श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्र0)	सदस्य
6.	श्री टी0 लेप्चा, प्रभारी सी0टी0सी0पी0	सदस्य
7.	श्री सुनील फरस्वाण, सहायक अभियंता, जल निगम	सदस्य
8.	श्री संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम	सदस्य

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण /आयुक्त गढ़वाल मण्डल का पुष्प गुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 96वी बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या को पढ़ा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 97वी बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयीः–

विषय कमांकः–1 गत बोर्ड बैठक के विषय कमांक 18 पर बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में महायोजना में दर्शित भू–उपयोग स्थित ग्राम तरला नांगल परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून के भू–उपयोग मनोरंजन से आर–3 (आवासीय) में किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पोट तैयार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,अपर जिलाधिकारी (प्र0) एवं प्रभारीसी0टी0सी0पी0 कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी निम्न बिन्दुओ पर विस्तृत रिर्पोट तैयार करेगीः–

1. सिटी पार्क के क्षेत्रफल में जो प्राइवेट भूमि है उसे अधिग्रहण करने में कितनी धनराशि व्यय होगी।
2. यदि प्राईवेट भूमि को **Compatible plan** में **convert** में किया जाता है तो **alternative geen Area** कहाँ रखा जायेगा।
3. ग्रीन एरिया कितना कम होगा।

विस्तृत आख्या सहित प्रस्ताव अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांकः–2 महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अध्याय–13 विनियम संख्या 13.4 में उल्लिखित व्यवस्था के संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः–3 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को **Funding for Training "Urban Land governance & Planning"** हेतु रू0 20.00लाख **Sponsorship** प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एल0बी0एन0ए अकादमी के द्वारा अरबन लैण्ड गवर्नेश एवं प्लानिंग की ट्रेनिंग एवं पायलट मॉडयूल हेतु प्राधिकरण द्वारा उक्त विषय की उपयोगिता एवं आज के सन्दर्भ में अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए कुल धनराशि का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी एवं इसके साथ साथ निर्देशित किया गया कि 50 प्रतिशत प्रतिभागी अन्य विभागो से भी ले लिये जाये।

विषय कमांकः–4 इंदिरापुरम कालोनी फेज–1 के ले–आउट प्लान में भवन संख्या 117 एच0आई0जी0 से 130 एच0आई0जी0 तक को आवासीय से व्यवसायिक संशोधन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत से सम्बन्धित एक प्रकरण मार्गदर्शन हेतु पूर्व में शासन को सन्दर्भित किया गया है अतः उसी कम में इस प्रस्ताव को भी शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांकः–5 मौजा बगराल गांव परगना पछवादून तहसील व जिला देहरादून के खसरा नम्बर 165/1, 166/2, 166/3 कुल रकबा 0.3840 है0 भूमि का महायोजना में दर्शित भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः–

1. भू–उपयोग परिवर्तन शासनादेश के अनुसार व्यवसायिक भू–उपयोग परिर्वतन हेतु स्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000.00 वर्गमीटर आवश्यक है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में भूखण्ड का क्षेत्रफल 3840.00 वर्गमीटर है।
2. भूखण्ड क्षेत्रफल निर्धारित से 160 वर्गमीटर कम है।

भूखण्ड क्षेत्रफल निर्धारित से 160 वर्गमीटर कम है।तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः–6 भूमि खसरा सं0 1246क मि0 रकबा 0.0099 है0 ग्राम देहराखास स्थित भूमि का व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक भू–उपयोग हेतु स्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर अपेक्षित है, प्रश्नगत प्रकरण का क्षेत्रफल 99 वर्गमीटर है। अतः प्रस्ताव पर विचार नही किया जा सकता है।

विषय कमांकः–7 भूमि खसरा सं0 333ख मि0 रकबा 0.0750 है0 मौजा केदारपुर का भू–उपयोग परिवर्तन मनोरंजन से आवासीय में किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः–

1. भू–उपयोग परिवर्तन शासनादेश के अनुसार व्यवसायिक भू–उपयोग परिर्वतन हेतु स्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000.00 वर्गमीटर आवश्यक है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में भूखण्ड का क्षेत्रफल मात्र 750.00 वर्गमीटर है।

चूंकि भूखण्ड का क्षेत्रफल मात्र 750 वर्गमीटर है।
तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः–8 देहरादून महायोजना में High Rise Building Zone को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देहरादून महायोजना में हाई राईज जोन को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में चिन्हित क्षेत्र की सोइल टेस्टिंग रिर्पोट प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड द्वारा हाई राईज जोन को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि सोइल टेस्टिंग रिर्पोट सकारात्मक होने पर मान्य होगा।

विषय कमांकः–9 वाहन संख्या यू0ए0 07 क्यू–5001(एम्बेस्डर कार) क्रय वर्ष 2006 एवं वाहन संख्या यू0के0 07 जीए –0830 (मारूति एस0एक्स0–4) क्रय वर्ष 2011 को निष्प्रोज्य घोषित करने एवं इनके स्थान पर 1 टी0यू0बी0, 1बुलेरो वाहन के साथ–साथ 1 अतिरिक्त बुलेरो क्रय करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः–10 पूर्व शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य किये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि प्राधिकरण के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अत्यधिक शराब/धूम्रपान आदि मादक पदार्थो के सेवन से बीमार होने पर तथा इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार पाये जाने पर उसके इलाज में हुए व्यय के भुगतान हेतु प्रस्तुत किसी भी प्रकार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नही किया जायेगा।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–11 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0099 / 19–20 श्री हितेश कुमार सिंह पुत्र श्री प्रमोद कुमार सिंह खसरा नम्बर 672 मौजा पौंधा (पेट्रोलियम यूनिर्वसिटी रोड पर) परगना पछवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः–

1 महायोजना मार्ग (30 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2 स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 11.98 मीटर है।
3 यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—12 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0031/19—20 श्री रविन्द्र सिंह कण्डारी पुत्र श्री परबल सिंह कण्डारी खसरा नम्बर 581/3 मौजा रायपुर (गुलरघाटी रोड पर) परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1. महायोजना मार्ग (30 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2. स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 13.20 मीटर है।
3. यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।
4. प्रश्नगत स्थल एयरपोर्ट के पास है और उसके आस—पास कोई पैट्रोल पम्प भी नही है और सभी वी0आई0पी0 वाहन भी वही से गुजरते है।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—13 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0013/19—20 श्री सचिन लूथरा पुत्र श्री गोविन्द गोपाल लूथरा खसरा नम्बर 1547 मि. स्थित जमीदारी अविनाश क्षेत्र ग्राम देहराखास परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1. महायोजना मार्ग (24 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2. स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 12.30 मीटर है।
3. यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—14 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0029/19—20 श्रीमती काजल नौटियाल पत्नि कर्नल अमित नौटियाल द्वारा खसरा नम्बर 248 व 249 ग्राम नथुवावाला (रायपुर से बालावाला मार्ग पर) परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट(वैंकेट हाल) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा एक बड़े भूखण्ड के एक छोटे भूखण्ड पर वैडिंग प्वांइट का प्रस्ताव दिया गया है अतः सबडिवीजन चार्ज सम्पूर्ण भूखण्ड पर लगेगा। अतः यदि आवेदक पूरे भूखण्ड पर सबडिवीजन चार्ज देने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है तो प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांकः—15 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0020/19—20 श्री विनोद सिंह रांगड पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह रांगड द्वारा खसरा नम्बर 278क व 307घ मौजा कारगी ग्रान्ट (कारगी चौक से बंजारावाला जाने वाले मार्ग पर) परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर आफिस प्लान निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—16 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0282/18—19 श्री तौयब हुसैन व अब्दुल सत्तार पुत्रगण श्री वली मौहम्मद द्वारा खसरा नम्बर 2271 मौजा ईस्ट होप टाउन परगना केन्द्रीयदून (मेन शिमला बाईपास रोड) देहरादून पर आफिस बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—17 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0119/19—20 श्रीमती सुप्रिया चर्तुवेदी द्वारा खसरा नम्बर 93मि ,94मि,94ख मि ,95ड मि,मौजा केहरी मानसिंह परगना परवादून देहरादून पर वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—18 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2101/19—20 मैसर्स जयश्री एसोशियेट्स द्वारा पार्टनर श्री इन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री मंगल सिंह द्वारा खसरा नम्बर 1350,1352 1318क, 1318ख मौजा अजबपुर खुर्द (मेन हरिद्वार बाईपास रोड) देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि आवेदक से प्रश्नगत स्थल पर सर्विस लेन भी छोडी जाये।

विषय कमांकः—19 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0133/19—20 श्री मनोज सिंह पंवार पुत्र श्री रणधीर सिंह पंवार खसरा नम्बर 2113ख ग्राम अजबपुर कंला (बंगाली कोठी चौक मौथरोवाला रोड से दून यूनिर्वसिटी जाने वाली रोड पर) परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1. महायोजना मार्ग (24 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2. स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 15.45 मीटर है।
3. यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—20 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2121/19—20 श्री भानु प्रसाद चौधरी पुत्र श्री यशपाल सिंह चौधरी खसरा नम्बर 68क ग्राम अजबपुर कंला (माता मन्दिर रोड) परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1 महायोजना मार्ग (24 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2 स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 13.71 मीटर है।
3 यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की

स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—21 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0029/18—19 श्री अशोक भाटिया ,दिलीप भाटिया व श्री सुरेन्द्र भाटिया पुत्रगण श्री आई0एल0भाटिया द्वारा खसरा नम्बर 23,24,25 व 26 ग्राम ब्राहमणवाला (मेन सहारनपुर हरिद्वार बाईपास रोड) जिला देहरादून पर होटल मानचित्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—22 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0042/19—20 श्री सुमित बोहरा पुत्र श्री ओम प्रकाश बोहरा द्वारा खसरा नम्बर 754घ मौजा सुद्धोवाला (मुख्य चकराता मार्ग पर) परगना पछवादून देहरादून पर प्रोफेसनल आफिस बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—23 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2183/19—20 श्री सन्दीप जैन पुत्र श्री कृष्णलाल जैन खसरा नम्बर 734 मौजा देहराखास (महन्त इन्द्रेश हास्पिटल से बाईपास रोड को जाने वाली सडक पर) देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1 महायोजना मार्ग (24 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2 स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 17.17 मीटर है।
3 यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—24 मानचित्र पत्रावली संख्या—सीसी—0034 / 19—20 मैसर्स एम0एल0जे0 बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 थ्रो डायरेक्टर श्री एम0एल0जुयाल पुत्र स्व0 श्री के0एम0जुयाल खसरा नम्बर—26ख(पुराना खसरा नम्बर 216 व 217) मौजा किशनपुर (मुख्य राजपुर रोड निकट मसूरी डायवर्जन राम कृष्ण आश्रम के सामने) परगना सैन्ट्रलदून देहरादून पर व्यवसायिक रैस्टोरेन्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—25 मानचित्र पत्रावली संख्या—सीसी—0260 / 18—19 श्री साहिल लामा पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी बहादुर लामा खसरा नम्बर—913 / 1 मौजा रायपुर परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1. महायोजना मार्ग (18 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2. स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 15.52 मीटर है।
3. मास्टर प्लान में महायोजना मार्ग 24 मीटर दर्शित है।

अतः प्रकरण पैट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कम में ही शासन को मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांकः—26 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0003 / 19—20 श्री त्रिलोक चन्द सेमवाल पुत्र श्री हरीमणी सेमवाल व श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री हरीमणी सेमवाल द्वारा खसरा नम्बर 2064क,2064ख (पुराना खसरा नम्बर 1152,1153) मौजा अजबपुरकंला परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1 महायोजना मार्ग (30 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2 स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 10.17 मीटर है।
3 यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—27

मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0254/18–19 श्रीमती विजय लक्ष्मी डोभाल एवं श्रीमती राधिका डोभाल खसरा नम्बर 1560 मौजा रायपुर परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1 महायोजना मार्ग (24 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2 स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 14.0 मीटर है।
3 यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांकः—28

मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा श्री अविनाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री भगवान दास द्वारा स्थल ग्राम रामनगर डांडा तहसील डोईवाला परगना परवादून जिला देहरादून के खसरा संचया 693,694मि0 शुद्ध भूखण्ड क्षेत्रफल 1294.78 वर्गमी0 पर रिठेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1 महायोजना मार्ग (24 मीटर) की चौड़ाई स्थल पर विद्यमान नही हैं।
2 फिलिंग स्टेशन हेतु मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा के बाहर न्यूनतम 30.00 मीटर चौड़ा पहुॅच मार्ग आवश्यक है।
3 अतः उक्त महायोजना मार्ग को भी 30 मीटर किया जाना आवश्यक होगा।
4 स्थल पर जो मार्ग वर्तमान में विद्यमान है उसकी चौड़ाई मात्र 5.5 मीटर है।
5 यदि महायोजना मार्ग के अनुसार चौड़ाई की जानी है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी होगी। जिस हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए शासन को इस बिन्दु पर मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये कि मानक के अनुसार स्थल पर मार्ग विद्यमान न होने की स्थिति में यदि महायोजना मार्ग दर्शाया गया है तो स्थल पर जो मार्ग विद्यमान है उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों में एकरूपता रहेगी।

तदानुसार मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांक:–29 प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0 एक्सटेंशन योजना में निर्मित एम0आई0जी0 तथा आई0एस0बी0टी0 योजना में निर्माणाधीन एच0आई0जी0 श्रेणी के फ्लैटों के मूल्य बृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक:–30 प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0 एक्सटेंशन योजना में निर्मित एम0आई0जी0 तथा आई0एस0बी0टी0 योजना में निर्माणाधीन एच0आई0जी0 श्रेणी के रिक्त फ्लैटों के विकय हेतु फ्लैट मूल्य में छूट की अवधि विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक:–31 ISBT बस टर्मिनल योजना हेतु **Ramky** से प्राप्त किये जाने वाले लम्बित भुगतान के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से संज्ञान लिया गया तथा रैम्की के साथ बैठक में लिये गये निर्णयो पर सहमति प्रदान की गयी।

विषय कमांक:–32 देहरादून रेलवे स्टेशन रि–डवेलपमेन्ट हेतु **Project Co-ordinator /Proccess Manager** के रूप में कार्य किये जाने हेतु प्राधिकरण व **Rail Land Development Authority** से विस्तरीत अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त रेलवे स्टेशन रि–डेवलपमेंट का कार्य **Implementing Agency** के रूप में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक:–33 ISBT एच0आई0जी0 आवासीय योजना हेतु निर्माण एजेन्सी **UPRNN** से **Block C, D, E, F** तथा **G** का कार्य एवं **Block A, B, H, J** तथा **K** का कार्य अन्य एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति संज्ञान लिया गया। तथा **Reconciliation** हेतु निर्देशित किया गया।

विषय कमांक:–34 प्राधिकरण में विभिन्न निर्माण कार्य एवं परियोजनाओं हेतु तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं निर्माण कार्य संबंधी, ठेके एवं टेण्डर हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारों के प्रतिनिधायन हेतु प्रावधानों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में अधिकारों के प्रतिनिधायन सचिव स्तर तक ही किया जाये।

विषय कमांकः—35 धौलास आवासीय परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्देशित किया गया कि ऋण एजेन्सी के सम्बन्ध में एस0बी0आई0 से भी वार्ता कर ली जाये।

विषय कमांकः—36 रिवर फ्रन्ट डेवलेपमेन्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मै0 एन0बी0सी0सी इण्डिया लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेशित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांकः—37 प्राधिकरण में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी कि मार्केटिंग प्रोफेशनल आउटसोर्स से लिया जाये एवं उसको एक टारगेट भी दिया जाये। उक्त प्रोफेशनल 11 माह के कान्ट्रैक्ट पर अधिक से अधिक तीन वर्ष हेतु रखा जाये।

विषय कमांकः—38 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थानों के छात्रों को एम0डी0डी0ए0 फैलोशिप प्रदान किये जाने में नियुक्त knowledge partner को **Honourarium** प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से 1.25 लाख प्रति छात्रवृत्ति प्रकिया जिसमें 04 छात्रवृत्ति सम्मिलित है, दिया जाये।

विषय कमांकः—39 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0077/14—15आरई—8 श्रीमती राकेश धवन पत्नि श्री विजय कुमार धवन द्वारा खसरा नम्बर 69घ —80क,80ख सम्पत्ति संख्या—178 ग्राम सिनौला मसूरी डायर्वजन रोड (मसूरी बाईपास रोड) जिला देहरादून पर होटल मानचित्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त वर्तमान भवन उपविधि में निर्धारित मानक से कम क्षेत्रफल होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

विषय कमांकः—40 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0 आवासीय योजना में एच0आई0जी0, फ्लैटों के बिकी हेतु अवषेष बचे फ्लैटों को विपणन हेतु 2.5 प्रतिशत कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय
कमांकः—01

आई0एस0बी0टी0 स्थित हरिद्वार बाईपास मुख्य मार्ग से लगती हुई एम0डी0डी0ए0 की रिक्त 17461.83 वर्ग मी0 भूमि में प्राधिकरण द्वारा होटल एवं कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय
कमांकः—02

डा0 रूचिका गर्ग, रेवती नर्सिंग होम हरिद्वार मार्ग धर्मपुर देहरादून द्वारा पहुँचमार्ग शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुपूरक विषय
कमांकः—03

दूनघाटी महायोजना—2031 के अन्तर्गत फुटहिल क्षेत्र का चिन्हीकरण।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से फुटहिल निर्धारण के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय
कमांकः—04

प्राधिकरण कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचरियों को अध्यक्ष ट्राफी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः—

विषय कमांकः— अवैध प्लांटिग के प्रभावी नियंत्रण हेतु दण्ड/शुल्क आरोपित करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया है, विस्त्त विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण पुनः शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय कमांकः— भूमि अर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 (भू—राजस्व की उगाईया) में जमा धनराशि रू0 15,06,43,876.00 को मय ब्याज सहित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

21/11/19
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

21/11/19
अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।